

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0 63 / 2022-23

—:आदेश:—

17/1/23

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर के पत्रांक-11, दिनांक -07.01.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक काशीनाथ खानी, पिता- स्व0 मुकुन्द खानी, साकिम- करमाटाँड़, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- करमाटाँड़, मौजा नं0- 15, पुराना खाता नं0- 11, पुराना प्लॉट नं0- 768, 770, नया खाता नं0- 245, नया प्लॉट सं0- 1360, रकबा- 02 कट्ठा भूमि क्रेता श्रीमती पिकी देवी, पति- मुकेश राम, साकिम- पलानी, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कहार हैं तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 89 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।